

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ का आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

डिक्री आज दिनांक 18/12/20 को हमारे हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय के द्वारा जारी की गई।



(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official